

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन,**  
**नवा रायपुर अटल नगर**  
**॥ संशोधन आदेश ॥**

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/01/2025

क्रमांक 79/933/2024/स्था./चार (पार्ट) :: विभागीय आदेश क्रमांक 1424/933/2024/स्था./चार, दिनांक 14.10.2024 की तालिका के सरल क्रमांक 3 द्वारा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा संवर्ग की श्रीमती सत्यवती एक्का, सहायक लेखाधिकारी, संचालनालय, उच्च शिक्षा, नवा रायपुर अटल नगर का प्रशासनिक आधार पर सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, बलरामपुर-रामानुजगंज स्थानांतरण किया गया था।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा, उक्त आदेश को संशोधित करते हुए श्रीमती सत्यवती एक्का, सहायक लेखाधिकारी, संचालनालय, उच्च शिक्षा, नवा रायपुर अटल नगर को, स्वयं के व्यय पर, सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जशपुर स्थानांतरित करते हुए पदस्थ करता है।

(समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(शांता खरे)  
16/1/2025

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 80/933/2024/स्था./चार (पार्ट)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/01/2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
5. संभागायुक्त, रायपुर/सरगुजा
6. आयुक्त, उच्च शिक्षा, नवा रायपुर अटल नगर
7. संचालक, संचलनालय, कोष एवं लेखा/उच्च शिक्षा, नवा रायपुर अटल नगर
8. कलेक्टर, रायपुर/जशपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज
9. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/सरगुजा
10. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय नवा रायपुर अटल नगर/बलरामपुर-रामानुजगंज/जशपुर
11. संबंधित अधिकारी .....की ओर पालनार्थ (संबंधित अधिकारी 10 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना कार्यालय में अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें)
12. आदेश फोल्डर हेतु  
---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट <http://finance.cg.gov.in> में अपलोड करने हेतु

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

